कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0),
लोक निर्माण विभाग, सल्ट, अल्मोड़ा

Office: Jhimar (263676)
E-mail: eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांकः 550/वनभूमि/3सी0/2025 दिनांकः 05.06.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषय :— जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रपोजल नं0 **FP/UK/ROAD/13914/2015**) करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/269/2015/एफ0सी0/1610 दिनांक 28.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित जोकि आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 8 शर्तो एवं विधिवत स्वीकृति में अधिरोपित 13 शर्तो की अनुपालन आख्या संलग्न कर अग्रिम विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित।

संलग्नक :—

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 8 शर्तो की अनुपालन आख्या।
2. विधिवत स्वीकृति में अधिरोपित 13 शर्तो की अनुपालन आख्या।

for अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

पत्रांकः 550 / वनभूमि/3सी0/2025/तद्दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0), लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0), लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट, (अल्मोड़ा)

Office: Jhimar (263676) E-mail: eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांक ७५२/वनभूमि/3सी0/2024 दिनांक १५.12.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :— जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Proposal No. FP/UK/ROAD/13914/2015)**

सन्दर्भ :— प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1388/12—1 देहरादून दिनांक 08.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो कि आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के क्रम में सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 08 शर्तो की संशोधित अनुपालन आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :— संशोधित अनुपालन आख्या।

(आशीष कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

पत्रांक /वनभूमि/3सी0/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :— 1. संबंधित सहायक अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री रवि शंकर मौर्या, कनिष्ठ अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट, (अल्मोड़ा)

Office: Jhimar (263676) **E-mail: eepmgsysalt@rediffmail.com**

पत्रांक 751/वनभूमि/3सी0/2024 दिनांक २५.12.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Proposal No. FP/UK/ROAD/13914/2015)**

सन्दर्भ :–
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/269/2015/एफ0सी0/1610 दिनांक 28.12.2017
2. प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1388/12–1 देहरादून दिनांक 08.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 08 शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.688 है0 ग्राम–झड़गांव एवं ओखलिया सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्य के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.688 है0 ग्राम–झड़गांव एवं ओखलिया सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों पर रु0 19,47,616.00 मात्र यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून द्वारा RTGS के माध्यम से जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 /2007 – एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रु0 32,48,180.00 एवं रु0 17,21,535.00 कुल रु0 49,69,715.00 मात्र यू0आर0आर0 डी0ए0 देहरादून द्वारा RTGS के माध्यम से जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है,तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।

CamScanner

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए,अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	मुख्य अभियन्ता यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून के माध्यम से RTGS द्वारा आनलाईन जमा कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी, इस आशय का वचन वद्वता प्रेषित करनी होगी।	वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt. Will upload KML file of CA area matching with shape given in digital map uploaded at para-13,Part-II online.	आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
7	State Govt. Will provide scheme for planting 1000 trees in lieu of 1.00 ha CA area (out of total 7.688 ha proposed CA area) falling in MDF as per guidelines dated 08.11.2017.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा स्तर से दी जानी है।
8	State Govt. Will provide original hard copy of tree enumeration list.	हार्ड कापी पूर्व में जमा है, जिसकी प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

इसके अतिरिक्त ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार के वांछनानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त मार्गो पर हस्तान्तरित वन भूमि का गैजेट नोटिफिकेशन भी राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाना है, अतः इस सम्बन्ध में अपने स्तर गैजेट नोटिफिकेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आशीष कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

पत्रांक /वनभूमि/3सी0/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– 1. संबंधित सहायक अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री रवि शंकर मौर्या, कनिष्ठ अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
16	FP/UK/ROAD/10125/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10125/2015) Jourashi to Ghanyal Motor Road	ROAD101252015463	6110125463	06 Feb 2018	**CA:** 2713640/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3198933/- , **0 :** 0/- **0 :** 0/- **0 :** 0/- **0 :** 0/- **Total :** 5912573/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :12 Apr 2018 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :13 Apr 2018 **Transaction Date** : 25 May 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/411512291216EWMX410125.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD101252015463)
17	FP/UK/ROAD/32804/2009 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/32804/2009) Jorashi jaikhal MR	ROAD328042009393	6132804393	08 Jan 2016	**CA:** 4078645/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 7558950/- , **0 :** 0/- **0 :** 0/- **0 :** 0/- **0 :** 0/- **Total :** 11637595/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 28 Mar 2018 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 30 Mar 2018 **Transaction Date** :21 Apr 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3112812281213EWVJGDEMANDNOTE.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD328042009393)
18	FP/UK/ROAD/13914/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/13914/2015) Deghat to Lalnagari Motor Road	ROAD139142015292	6113914292	28 Dec 2017	**CA:** 1947616/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3248180/- , **N/A :** 0/- **N/A :** 0/- **N/A :** 0/- **N/A :** 0/- **Total :** 5195796/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 13 Feb 2018 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 20 Feb 2018 **Transaction Date** : 08 Mar 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/21110122012114SIZPDfodemandletter.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD139142015292)

CamScanner

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/13914/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/13914/2015) Deghat to Lalnagari Motor Road	ROAD139142015516	611391451 6	28 Dec 2017	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, Additional NPV : 1721535/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1721535/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :20 Jun 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :21 Jun 2023 Transaction Date 23 Aug 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/200620231524482038_FPUKROAD139142015_User_Fund_Demanded_4T163.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD139142015516)
2	FP/UK/ROAD/13914/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/13914/2015) Deghat to Lalnagari Motor Road	ROAD139142015528	611391452 8	28 Dec 2017	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3248180/-, Other Charges : 0/- Additional NPV : 1721535/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4969715/-	Paid	Not Done	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/030520231501273729_FPUKROAD139142015_User_Fund_Demanded_71F52.pc
3	FP/UK/ROAD/10294/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10294/2015) Manaldura to Nanankoti Motor Road	ROAD102942015517	611029451 7	03 Nov 2015	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 940167/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 940167/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :15 Feb 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :12 Apr 2023 Transaction Date :04 Jul 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/181120221301246792_FPUKROAD102942015_User_Fund_Demanded_15864.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD102942015517)
4	FP/UK/ROAD/32804/2009 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/32804/2009) Jorashi Jaikhal MR	ROAD328042009124	613280412 4	08 Jan 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2848493/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2848493/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :09 Dec 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :16 Dec 2022 Transaction Date 23 Dec 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/291020221157594014_FPUKROAD328042009_User_Fund_Demanded_847X2.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD328042009124)

CamScanner

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम:– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 03 :– शुद्व वर्तमान मूल्य की दरो में यदि बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम:– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 03 :– शुद्व वर्तमान मूल्य की दरो में यदि बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

CS CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 05 :– सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो, सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देखरेख में Strip Plantation की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

CamScanner
CamScanner

जनपद अल्मोड़ा में देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची 7.00 मी0 चौड़ाई के अनुसार (13.650 किमी.)

क.सं.	ग्राम का नाम	प्रजाति	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से ऊपर	योग
1.	चम्याड़ी तल्ली बेनाप	चीड़ हरा		6	10	12	1	1	–	–	–	–	30
2.	बसनल गाँव बेनाप	चीड़ हरा		2	2	2	1	–	–	–	–	–	7
3.	बसनल गाँव वन पंचायत	चीड़ हरा		55	45	14	7	–	–	–	–	–	121
		सिरस		1			–	–	–	–	–	–	1
4.	गैरसाल बेनाप	चीड़ हरा		3	2	1	–	–	–	–	–	–	6
5.	बोहरा गाँव चक लाल नगरी बेनाप	चीड़ हरा		–	1	–	1	–	–	–	–	–	2
6.	लालनगरी सिविल बेनाप	चीड़ हरा		56	39	41	20	7	7	7	–	–	177
7.	सेतु दुगा चक लालनगरी बेनाप	चीड़ हरा		1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
		सिरस		3	3	–	–	–	–	–	–	–	6
8.	राठाखाल्यू चक लालनगरी बेनाप	चीड़ हरा		33	2	–	–	–	–	–	–	–	35

CamScanner

9.	अलियातीन चक लालनगरी बेनाप	चीड़ हरा		1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
10.	पेटुली कोट वन पंचायत	चीड़ हरा		3	7	1	–	–	–	–	–	–	11
11.	आरक्षित वन कम्पार्ट, न0–3 लालनगरी	चीड़ हरा		–	–	–	1	–	3	2	–	–	6
	महायोग :–			164	113	71	31	8	10	9			406

निर्माण खण्ड
सल्ट (अल्मोड़ा)

उप वन क्षेत्राधिकारी
मोहनरी वन क्षेत्र,

16/2/2013

तहसीलदार स्याल्दे
जिला–अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

उप जिलाधिकारी स्याल्दे
जनपद –अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

CamScanner
CamScanner

जनपद अल्मोड़ा मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निमार्ण अन्तर्गत 1000 पौधो का पथ वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
2.8	1000 पौध का रोपण कार्य (रोड साईड पथ वृक्षारोपण)				
2.8.1	प्रथम वर्ष–रोपण कार्य				
2.8.1.1	सर्वे एंव सीमांकन (1000मी0X5मी0X2 रो = 10000 वर्ग मी0)	प्रति है0	1	1453.00	1453.00
2.8.1.2	क्षेत्र की साधारण झाड़ी सफाई	प्रति है0	1	1259.00	1259.00
2.8.1.3	गडडा खुदान कार्य (60x60x60 सेमी0)	प्रति गडडा	1000	31.61	31610.00
2.8.1.4	गडडे भरान हेतु गोबर खद क्य मय ढुलान	प्रति गडडा	1000	15.00	15000.00
2.8.1.5	खाद मिटटी मिलाकर गडडा भरान (60X60X60 सेमी0)	प्रति गडडा	1000	4.94	4940.00
2.8.1.6	9"x12" के बैग में 8 फिट ऊंची शोभाकार पौध का मूल्य 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित	प्रति पौध	1200	300.00	360000.00
2.8.1.7	ट्रक द्वारा बैग पौधों का ढुलान 9"x12" मय लदवाई उतरवाई 20 प्रतिशत क्षतिपुति सहित (औसतन 180 किमी0 दूरी से)	प्रति पौध	1200	0.51	110160.00
2.8.1.8	पौधों का सिरबोझ ढुलान 1.00 किमी (9"x12" साईज के बैग)	प्रति पौध	1200	11.11	13332.00
2.8.1.9	पौध रोपण मय थावलाबन्दी	प्रति पौध	1000	8.89	8890.00
2.8.1.10	50 प्रतिशत पौधों में ट्री गार्ड मय दो कोट ग्रीन पेंट रंगाई एंव लिखाई क्य करना बाजार मूल्य पर (साइज 7.5 फिट ऊँचाई X1.5 फिट व्यास न्यूनतम वनज 12.20 किग्रा0)	प्रति ट्री गार्ड	500	1500.00	750000.00
2.8.1.11	ट्री गार्ड ढुलान मय लोडिंग एंव अनलोडिंग	प्रति ट्री गार्ड	500	60.00	30000.00
2.8.1.12	ट्री गार्ड को सीमेंट कंक्रीट में फिक्स करना (3नं0X10X10X30सेमी0) 4.5 घन मी0	घन मी0	4.5	7878.00	35451.00
2.8.1.13	पौधों की सिंचाई हेतु टैंकर व श्रमिक व्यय (अक्टूबर से मार्च तक 3 बार)	प्रति पौध	3000	30.00	90000.00
2.8.1.14	सुरक्षा हेतु चौकीदार 1.5 किमी0 में 1 चौकीदार (अगस्त से मार्च तक 8 माह)	प्रति किमी	8	8570.00	68560.00
2.8.1.15	साईन बोर्ड (3"x4") प्रति किमी0 में 2 संख्या	सं0	2	5000.00	10000.00
2.8.1.16	पौधों की निराई गुड़ाई मल्चिंग (3 बार)	प्रति पौध	3000	1.64	4920.00
	योग				**1535575.00**
2.8.1.17	मूल्यांकन एंव अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत	–		–	7677.88
2.8.1.18	श्रम कल्याण बीमा आदि कार्य – 1 प्रतिशत	–		–	15355.75
2.8.1.19	अन्य आकस्मिक व्यय – 3 प्रतिशत	–		–	46067.25
2.8.1.20	अनुरक्षण श्रमिक हट् निर्माण आदि व्यय	–	–	–	400000.00
	योग प्रथम वर्ष	–		–	**2004675.88**
2.8.2	**द्वितीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य**				
क्र0 सं0	**कार्य का विवरण**	**ईकाई**	**मात्रा**	**दर**	**धनराशि**
1	2	3	4	5	6
2.8.2.1	देख–रेख व रख–रखाव 1.50 किमी0 में 1 श्रमिक रोपण वर्ष में 12 माह	प्रति किमी0	12	8570.00	102840.00
2.8.2.2	रोपण क्षेत्र मे रोपित पौधो की सिंचाई करना टैकर व श्रमिक व्यय (6 बार)	पौध	6000	30.00	180000.00
2.8.2.3	20 प्रतिशत पौधों का क्षतिपूर्ति रोपण पौधो की कीमत व ढुलान का व्यय विभागीय व रोपण वाचर द्वारा किया जायेगा	पौध	200	404.00	80800.00
	उप–योग				**363646.00**
2.8.2.4	मूल्यांकन एंव अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत	–		–	1818.23
2.8.2.5	श्रम कल्याण बीमा आदि कार्य–1 प्रतिशत	–		–	3636.46
2.8.2.6	अन्य आकस्मिक व्यय– 2 प्रतिशत	–		–	7272.92
	योग द्वितीय वर्ष	–		–	**376373.61**
				या	

CS CamScanner

2.8.3	तृतीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य				
2.8.3.1	देख–रेख व रख–रखाव 1.50 किमी0 में 1 श्रमिक रोपण वर्ष में 12 माह	पौध	12	8570.00	102840.00
2.8.3.2	रोपण क्षेत्र मे रोपित पौधो की सिंचाई करना टैंकर व श्रमिक व्यय (6 बार)	पौध	6000	30.00	180000.00
	उप–योग				**282840.00**
2.8.3.3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीकरण –0.50 प्रतिशत	–		–	1414.20
2.8.3.4	श्रम कल्याण बीमा आदि कार्य– 1 प्रतिशत	–		–	2828.40
2.8.3.5	अन्य आकस्मिक व्यय– 2 प्रतिशत	–		–	5656.80
	योग तृतीय वर्ष				**292739.40**
2.8.4	चतुर्थ वर्ष– अनुरक्षण कार्य				
2.8.4.1	देख–रेख व रख–रखाव 1.50 किमी0 में 1 श्रमिक रोपण वर्ष में 12 माह	पौध	12	8570.00	102840.00
2.8.4.2	रोपण क्षेत्र में रोपित पौधो की सिचाई करना टेंकर व श्रमिक व्यय (6 बार)	पौध	6000	30.00	180000.00
	उप–योग				**282840.00**
2.8.4.3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत	–		–	1414.20
2.8.4.4	श्रम कल्याण बीमा आदि कार्य –1 प्रतिशत	–		–	2828.40
2.8.4.5	अन्य आकस्मिक व्यय – 2 प्रतिशत	–		–	5656.80
	योग चतुर्थ वर्ष				**292739.40**
2.8.5	पंचम वर्ष– अनुरक्षण कार्य				
2.8.5.1	देख–रेख व रख–रखाव 1.50 किमी0 में 1 श्रमिक रोपण वर्ष में 12 माह	पौध	12	8570.00	102840.00
2.8.5.2	रोपण क्षेत्र में रोपित पौधो की सिचाई करना टेंकर व श्रमिक व्यय (6 बार)	पौध	6000	30.00	180000.00
	उप–योग				**282840.00**
2.8.5.3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत	–		–	1414.20
2.8.5.4	श्रम कल्याण बीमा आदि कार्य –1 प्रतिशत	–		–	2828.40
2.8.5.5	अन्य आकस्मिक व्यय – 2 प्रतिशत	–		–	5656.80
	योग पंचम वर्ष				**292739.40**
	व्यय सार				
2.8.1	प्रथम वर्ष– अग्रिम मृदा कार्य एंव वृक्षारोपण कार्य	–		–	2004675.88
2.8.2	द्वितीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य	–		–	376373.61
2.8.3	तृतीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य	–		–	292739.40
2.8.4	चतुर्थ वर्ष– अनुरक्षण कार्य	–		–	292739.40
2.8.5	पंचम वर्ष– अनुरक्षण कार्य	–		–	292739.40
	योग प्रथम, द्वितीय,तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष	–		–	**3259267.69**

—या — — — 3259268.0

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लोक निर्माण विभाग, सल्ट, अल्मोड़ा

Office: Jhimar (263676) **E-mail: eepmgsysalt@rediffmail.com**

पत्रांक 484/ वनभूमि/19 सी0/2024 दिनांक 02.09.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–8 के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/13914/2015)

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/269/2015/एफ0सी0/1610 दिनांकः 28.12.2017 एवं जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक संख्याः 5590/ग्यारह–05/21–22 दिनांकः 13.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत करना है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.688 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र (CA) वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद संबंधित जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के संशोधित आदेश संख्याः 5590/ग्यारह–05/2021–22 दिनांक 13.06.2024 द्वारा ग्राम ओखलिया में 2.500 है0 भूमि एवं ग्राम झड़गांव में 5.188 है0 भूमि कुल 7.688 है0 भूमि हस्तान्तरित कर दी गई है, आदेश की प्रति एवं खतौनी की छायाप्रति प्रमाणित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 108/19सी0 दिनांक 13.02.2024 द्वारा पूर्व में प्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

ASHISH KUMAR SINGH
Digitally signed by ASHISH KUMAR SINGH
Date: 2024.09.02 16:32:23 +05'30'

(आशीष कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

पत्रांक / वनभूमि/19 सी0/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्री आशीष भेंतवाल, आर0ई0, निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0) लो0नि0वि0 सल्ट।
2. कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक), निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0) लो0नि0वि0 सल्ट।
3. श्री प्रेमपाल सिंह अमीन, निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0) लो0नि0वि0 सल्ट।

ASHISH KUMAR SINGH
Digitally signed by ASHISH KUMAR SINGH
Date: 2024.09.02 16:32:55 +05'30'

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

CamScanner

120
19सी०
24/06/2024

संशोधित आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 4157/ग्यारह–05/2021–22, दिनांक 05 अप्रैल,2022 द्वारा जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी तक प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.844 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम–झड़गांव,राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कूपी तहसील–सल्ट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–20 की श्रेणी–9(3)ड़"कृषि योग्य बंजर भूमि"(उत्तराखण्ड सरकार) के पैमायशी खेत नम्बर–430 रकवा 0.155 है0, खेत नं०–431 रकवा 0.456 है0, खेत नं०–432 रकवा 0.877 है0, खेत नं०–2321 रकवा 0.434 है0, खेत नं०–2323 रकवा 1.813 है0, खेत नं० 2325 मध्य रकवा 1.453 है०कुल 5.188 है० एवं खतौनी खाता संख्या–9 श्रेणी–10(4) के बंजर नाकाबिल आबाद(उत्तराखण्ड सरकार) के पैमाईश खेत नं०– 365 मध्ये–2.500 है० इस प्रकार **कुल– 7.688 हैक्टयर** सिविल भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित किये जाने के स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रकरण में उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़ द्वारा पत्र संख्या 412/एस0टी0/2023–24, दिनांक 12 जून,2024 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र संख्या 332/19 सी0 दिनांक 10–06–2024 से अवगत कराया गया है कि देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कुल सिविल भूमि 7.688 है0 के सापेक्ष 5.188 है0 भूमि ग्राम झड़गांव एवं में उपयुक्त पायी गयी है। शेष 2.500 है0 सिविल भूमि भूलवश ग्राम झड़गांव खाता संख्या 20 अंकित हो गया है, जिसे ग्राम ओखलिया खाता संख्या–9 के खेत नं०– 365 मध्ये–2.500 है0 संशोधित किया जाना है।

अतः उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़ एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0), लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोड़ा) की आख्या के आधार पर इस कार्यालय द्वारा पारित आदेश संख्या 4157/ग्यारह–05/2021–22, दिनांक 05 अप्रैल,2022 में प्रस्तावित खाता संख्या–9 श्रेणी–10 (4) के पैमाईश खेत नं०–365 मध्ये–2.500 के स्थान पर आंशिक संशोधित किया जाता है कि "ग्राम ओखलिया, राजस्व उप निरीक्षक देवीखाल, तहसील सल्ट खुमाड के खाता संख्या–9 श्रेणी–10(4) के पैमाईश खेत नं०– 365 मध्ये–2.500 है0 भूमि पढ़ा जाय।"

उक्त सम्बन्ध में कार्यालय आदेश दिनांक 05 अप्रैल,2022 में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगें।

दिनांकः 12/06/2024

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–5590 /ग्यारह– 05/2021–22, दिनांकः 13 जून,2024

प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़, जनपद अल्मोड़ा।
4– तहसीलदार, सल्ट खुमाड़।
5– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई) लोक निर्माण विभाग, सल्ट।
6– वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)।

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Consttn. Divn. P.W.D.
Salt (Almora)

गैर जमींदारी विनाश खतौनी उद्धरण ग्राम मड़गांव .... पटवारी क्षेत्र ल्वाली ....
तहसील व जिला अल्मोड़ा।

श्रेणी– 9(3)ई

खाता संख्या	खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खेत नम्बर	रकवा (है0)	लगान	विवरण
20	कृषि योग्य बंजर		6 7 10 ↓ 2321 2323 2325 ↓ 4185 4198 4210	0.031 0.045 0.935 ↓ 0.434 1.813 1.870 ↓ 0.020 0.015 0.010		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं० 4157/ रिट-05/2021-22 दिनांक 05 अप्रैल 2022 के क्रम में राजस्व ग्राम मड़गांव [illegible] ल्वाली तह० सल्ट के गैर ज०वि० खतौनी खाता सं० 20 श्रेणी 9(3)ई कृषि योग्य बंजर भूमि (उत्तराखण्ड सरकार) के पैमायशी खेत सं० 430 रकबा 0.355 है०, खेत सं० 431 रकबा 0.456 है० खेत सं० 432 रकबा 0.677 है० खेत सं० 2321 रकबा 0.434 है० खेत सं० 2323 रकबा 1.813 है० खेत सं० 2325 मध्ये रकबा 1.453 है० कुल 5.188 है० एवं खतौनी खाता सं० 9 श्रेणी 10(4) के [illegible] (U.P. [illegible]) के पैमायशी खेत नं० 365 मध्ये 2.500 है० इस प्रकार कुल 7.688 है० सिविल भूमि को वन विभाग को [illegible] हेतु हस्तांतरित की जाती है। ह०/अ० उपजिलाधिकारी 10-5-22 श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के संशोधित आदेश सं० 5590/ रिट-05/2021-22 दिनांक 13 जून 2024 के क्रम में [illegible] [illegible] हेतु [illegible] कुल सिविल भूमि 7.688 है० के सापेक्ष 5.188 है० भूमि ग्राम मड़गांव में उपयुक्त पायी गयी है तथा शेष 2.500 है० सिविल भूमि उपलब्ध [illegible] ग्राम मड़गांव के गैर ज०वि० खाता सं० 20 में अंकित है [illegible] खाता सं० 9 के खेत नं० 365 मध्ये 2.500 (है०) संशोधित किया गया है ह०/अ० उपजिलाधिकारी 08.7.24
	योग →		240	30.399		

महोदय,

नकल मुताविक असल के तैयार की गयी।

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Constn. Divn. P.W.D.
Salt (Almora)

08-7-24
रा०उ० उपनिरीक्षक
क्षेत्र – ल्वाली
तह० सल्ट

गैर ज०वि० खतौनी की नकल/उद्धरण

राजस्व ग्राम-ओखलिया, रा० उ०नि० क्षेत्र देवीखाल, तह० सल्ट (अल्मोड़ा)

खाता सं०	नाम कास्तकार	खेत नं०	रकबा हे० में	अन्य विवरण
09	उत्तराखण्ड सरकार (बंजर नाकाबिल आबाद) श्रेणी-10(4)	01	0.064	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के कार्यालय पत्रांक/आदेश सं०-5599/ग्यारह-05/2021-22 दिनांक 13 जून 2024 के अनुपालन अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत देघाट से [illegible] तक प्रस्तावित मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाली वन भूमि 7.688 है० के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम ओखलिया के गैर ज०वि० खाता सं०-09 श्रेणी 10(4) के बंजर नाकाबिल खेत नं०-365 मध्ये 2.500 है० भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु नामान्तरित की जाती है।
		11	0.008	
		12	0.026	
		क्रमशः	क्रमशः	
		365	3.008	ह० रा०उ०नि० देवीखाल दिनांक 27/06/24
		क्रमशः	क्रमशः	
		376	0.747	
		378	0.018	
		384	0.382	
योग		कुल 40 खेत	11.485 है०	

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Consttn. Divn. P.W.D.
Salt (Almora)

महोदय, खतौनी उद्धरण तैयार किया।

राजस्व उपनिरीक्षक/प०
पटवारी क्षेत्र देवीखाल
तहसील-सल्ट (अल्मोड़ा)

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0),
लोक निर्माण विभाग, सल्ट, अल्मोड़ा

Office: Jhimar (263676)
E-mail: eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांकः 550/वनभूमि/3सी0/2025 दिनांकः 05.06.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषय :— जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रपोजल नं0 **FP/UK/ROAD/13914/2015**) करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/269/2015/एफ0सी0/1610 दिनांक 28.12. 2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित जोकि आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 8 शर्तो एवं विधिवत स्वीकृति में अधिरोपित 13 शर्तो की अनुपालन आख्या संलग्न कर अग्रिम विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित।

संलग्नक :—
1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 8 शर्तो की अनुपालन आख्या।
2. विधिवत स्वीकृति में अधिरोपित 13 शर्तो की अनुपालन आख्या।

for अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

पत्रांकः 550 / वनभूमि/3सी0/2025/तद्दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0), लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0), लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लोक निर्माण विभाग, सल्ट, अल्मोड़ा

Office: Jhimar (263676) **E-mail:** eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांक 549 /वनभूमि/3 सी0/2024 दिनांक 05.06.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/269/2015/एफ0सी0/1610 दिनांक 28.12.2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 742/वनभूमि/3 सी0/2024 दिनांक 24/12/2024 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया गया था। वर्तमान में विधिवत स्वीकृति कुछ शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। आरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :–

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	विधिवत स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	वचनवद्वता संलग्न है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	वचनवद्वता संलग्न है।
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 7.688 है0 ग्राम झड़गांव एवं ओखलिया सिविल एवं सोयम भूमि को 06 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7.688 है0 भूमि ग्राम झड़गांव एवं ओखलिया कों वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 6072/12–1(2).अल्मोड़ा दिनांक 08/05/2025 द्वारा अधिसूचना जारी करने हेतु वन संरक्षक को पत्र प्रेषित। पत्र की प्रति संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।	वचनवद्वता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख रेख में प्रत्यावर्तित वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिस पर Forward एवं Back bearing भी अंकित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग की देख रेख में प्रत्यावर्तित वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करा दिया गया है जिस पर Forward एवं Back bearing भी अंकित करा दिया गया है। सीमांकन की प्रति संलग्न है।

CamScanner

6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसाई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचें।	वचनवद्वता संलग्न है।
7	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार क्षति नही पहुंचायी जायेगी।	वचनवद्वता संलग्न है।
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उददेश्य के अलावा अन्य किसी उददेश्य के लिए नही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा।	वचनवद्वता संलग्न है।
9	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 406 से अधिक न हो।	सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 9 के अनुपालन में मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान एवं पातन किया जायेगा। उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में पेड़ों की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी गयी है।
10	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी	वचनवद्वता संलग्न है।
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जाएगा।	वचनवद्वता संलग्न है।
12	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	वचनवद्वता संलग्न है।
13	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गयी शर्तो का सन्तोषजनक अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	वचनवद्वता संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मोटर मार्ग में आने वाले वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

for अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 01 :– वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।

for अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या **02** :– एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर ए0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 03 :– प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 7.688 है0 ग्राम झड़गांव एवं ओखलिया सिविल एवं सोयम भूमि को 06 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है।

for अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CS CamScanner

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 6072 / 12-1(2) -अल्मोड़ा दिनांक 08-05 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/13914/2015)

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 5695/12–1(2) दिनांक 21.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या 3(ख) के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के एवज मे इस प्रभाग के जौरासी वन क्षेत्रान्तर्गत चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सिविल भूमि के आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने से सम्बन्धित अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर पूर्व में ही प्रेषित कर दिया गया था, जिसमें सी0ए0 क्षेत्र सिविल झड़गांव व ओखलिया के स्थान पर केवल झड़गांव का ही विवरण अंकित किया गया था, जबकि प्रस्ताव के अनुसार जिलाधिकारी के संशोधित आदेश में दो स्थलों झड़गांव व ओखलिया की कुल 7.688 है0 भूमि सी0ए0 हेतु हस्तांतरित की गयी थी।

अतः प्रकरण पर संशोधित अधिसूचना निम्न तालिकानुसार पुनः प्रेषित की जा रही है, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि ड्राफ्ट में वांछित संलग्नक पूर्व में ही प्रेषित कर दिये गये थे, जिनकी प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।

तालिका

क्र. सं.	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या (है0)	कुल क्षेत्रफल(है0 में)	भूमि की कि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्मोड़ा	झड़गांव	कूपी	20	430(0.155), 431(0.456), 432(0.877), 2321(0.434), 2323(1.813), 2325(1.453),	5.188	उत्तराखण् सरकार व 9(3) इ0
2	अल्मोड़ा	ओखलिया	देवीखाल	9	365(2.500)	2.500	उत्तराखण् सरकार व 10(4)
					योग	7.688	

उक्त भूमि को वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है(संलग्नक–2)।

अतः उक्त के क्रम में आपसे निवेदन है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 7.688 है0 सिविल भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927, यथासंसोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाना है, जिस हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट (हिन्दी व अंग्रेजी) संलग्नक–03 व 04, शासनादेश हेतु इस आशय से प्रेषित कि आप स्वयं के स्तर से वन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन को अधिसूचना ड्राफ्ट प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

संलग्नक–1.अमलदरामद आदेश।
2. वन क्षेत्राधिकारी, द्वाराहाट रेंज द्वारा लिया गया कब्जा।
3. अधिसूचना का ड्राफ्ट।
4. खतौनी की प्रति।
5. चयनित क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र का जियो रिफरेन्स मैप।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

CS CamScanner

पत्रांक 6072 / 12-1(2),उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रस्ताव में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु सं0 3 के क्रम में आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धित की गयी कार्यवाही की सूचना सादर प्रेषित की जा रही है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग—3
संख्या—
देहरादूनः **दिनांक—**

अधिसूचना

राज्यपाल भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या—16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग " हस्तांतरित 3.844 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी—9(3) ड0 की 5.188 है0 (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ—साथ सारक्षित वन घोषित करते है—

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल(है0 में)	भूमि की किर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्मोड़ा	झड़गांव	कूपी	20	430(0.155), 431(0.456), 432(0.877), 2321(0.434), 2323(1.813), 2325(1.453),	5.188	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9 ड0

(कहकंशा नसीम)
सचिव (प्रभारी)

संख्याः—
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
1. प्रमुख वन संरक्षक (Hoff), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षण वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
9. उपजिलाधिकारी, कोश्या कुटौली।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रालय, रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग—4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

(कहकंशा नसीम)
सचिव (प्रभारी)

CS CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3

संख्या–
देहरादूनः   दिनांक–

अधिसूचना

राज्यपाल भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग " हस्तांतरित 3.844 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–10(4) की 2.500 है0 जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते है–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल(है0 में)	भूमि की किस
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्मोड़ा	ओखलिया	देवीखाल	9	365(2.500)	2.500	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(4)

(कहकंशा नसीम)
सचिव (प्रभारी)

संख्याः–
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. प्रमुख वन संरक्षक (Hoff), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षण वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
9. उपजिलाधिकारी, कोश्या कुटौली।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रालय, रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

(कहकंशा नसीम)
सचिव (प्रभारी)

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of india, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification............./............ Dehradun, dated............ for general information

Government of Uttarakhand
Forest Section-03

File No.
Dehradun: Date

Notification

In Exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)d – 5.188 Ha. land (for other agricultural use barren land) as Forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Almora to the Forest department for compensatory plantation against the 3.844 hactare reserve forest land transferred for the construction of Deghat Lalnagri Motor Road in Almora District, whose area and boundary details are given in the table below-

Table

S.no.	District	Village	Patti	Khata no.	Khasra No.	Total Area Required (inHa.)	Category land
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Almora	Jhargaon	koopi	20	430(0.155), 431(0.456), 432(0.877), 2321(0.434), 2323(1.813), 2325(1.453).	5.188	Uttarakha Governm Categor 9(3)D

The area mentioned in table above is free from the claim of any concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

(Kahsansa Naseem)
Secretary(incharge)

Copy-Sent to the following for information and action.

1. Principal Cheif-Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
2. Pricipal Cheif Conservator of Forest Wilflife, Uttarakhand, Dehradun.
3. Additional Cheif Conservator of Forest, and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.
4. Commissioner, Kumaun Mandal, Uttarakhand, Nainital.
5. Cheif Conservator Of Forest, (Kumaun),Uttarakhand, Nainital.
6. Conservator Of Forest, North Kumaun Circle, Uttarakhand Almora.
7. District Magistrate, Nainital.
8. Division Forest officer, Almora Forest Division Almora.
9. Sub District Magistrate, Kosya Kutoli.
10. Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council Section-(B) part-4 of the general Gazatte.
11. NIC, Secretriat Campus.
12. Guard File.

(Kahsansa Naseem)
Secretary(incharge)

CS CamScanner

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of india, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification............./............. Dehradun, dated............ for general information

Government of Uttarakhand
Forest Section-03

File No.
Dehradun: Date

<u>Notification</u>

In Exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 10(4)- 2.5 Ha. as Forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Almora to the Forest department for compensatory plantation against the 3.844 hactare reserve forest land transferred for the construction of Deghat Lalnagri Motor Road in Almora District, whose area and boundary details are given in the table below-

<u>Table</u>

S.no.	District	Village	Patti	Khata no.	Khasra No.	Total Area Required (inHa.)	Category land
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Almora	Okhliya	Devikhal	9	365(2.500)	2.500	Uttarakha Governm Categor 10(4)

The area mentioned in table above is free from the claim of any concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

(Kahsansa Naseem)
Secretary(incharge)

Copy-Sent to the following for information and action.

1. Principal Cheif-Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
2. Pricipal Cheif Conservator of Forest Wilflife, Uttarakhand, Dehradun.
3. Additional Cheif Conservator of Forest, and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.
4. Commissioner, Kumaun Mandal, Uttarakhand, Nainital.
5. Cheif Conservator Of Forest, (Kumaun),Uttarakhand, Nainital.
6. Conservator Of Forest, North Kumaun Circle, Uttarakhand Almora.
7. District Magistrate, Nainital.
8. Division Forest officer, Almora Forest Division Almora.
9. Sub District Magistrate, Kosya Kutoli.
10. Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council Section-(B) part-4 of the general Gazatte.
11. NIC, Secretriat Campus.
12. Guard File.

(Kahsansa Naseem)
Secretary(incharge)

CamScanner

संशोधित आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 4157/ग्यारह–05/2021–22, दिनांक 05 अप्रैल,2022 द्वारा जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी तक प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.844 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम–झड़गांव,राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कूपी तहसील–सल्ट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–20 की श्रेणी–9(3)ड़"कृषि योग्य बंजर भूमि"(उत्तराखण्ड सरकार) के पैमायशी खेत नम्बर–430 रकवा 0.155 है0, खेत नं०–431 रकवा 0.456 है0, खेत नं०–432 रकवा 0.877 है0, खेत नं०–2321 रकवा 0.434 है0 खेत नं०–2323 रकवा 1.813 है0, खेत नं० 2325 मध्य रकवा 1.453 है०कुल 5.188 है० एवं खतौनी खाता संख्या–9 श्रेणी–10(4) के बंजर नाकाविल आबाद(उत्तराखण्ड सरकार) के पैमाईश खेत नं०– 365 मध्ये–2.500 है० इस प्रकार कुल– 7.688 हैक्टयर सिविल भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित किये जाने के स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रकरण में उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़ द्वारा पत्र संख्या 412/एस0टी0/2023–24, दिनांक 12 जून,2024 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र संख्या 332/19 सी0 दिनांक 10–06–2024 से अवगत कराया गया है कि देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कुल सिविल भूमि 7.688 है0 के सापेक्ष 5.188 है0 भूमि ग्राम झड़गांव एवं में उपयुक्त पायी गयी है। शेष 2.500 है0 सिविल भूमि भूलवश ग्राम झड़गांव खाता संख्या 20 अंकित हो गया है; जिसे ग्राम ओखलिया खाता संख्या–9 के खेत नं०– 365 मध्ये–2.500 है0 संशोधित किया जाना है।

अतः उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़ एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0), लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोड़ा) की आख्या के आधार पर इस कार्यालय द्वारा पारित आदेश संख्या 4157/ग्यारह–05/2021–22, दिनांक 05 अप्रैल,2022 में प्रस्तावित खाता संख्या–9 श्रेणी–10(4) के पैमाईश खेत नं०–365 मध्ये–2.500 के स्थान पर आंशिक संशोधित किया जाता है कि "ग्राम ओखलिया, राजस्व उप निरीक्षक देवीखाल, तहसील सल्ट खुमाड के खाता संख्या–9 श्रेणी–10(4) के पैमाईश खेत नं०– 365 मध्ये–2.500 है0 भूमि पढ़ा जाय।"

उक्त सम्बन्ध में कार्यालय आदेश दिनांक 05 अप्रैल,2022 में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगें।

दिनांकः 12/06/2024

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–5590 /ग्यारह– 05/2021–22, दिनांकः 13 जून,2024

प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़, जनपद अल्मोड़ा।
4– तहसीलदार, सल्ट खुमाड़।
5– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई) लोक निर्माण विभाग, सल्ट।
6– वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)।

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

13505
12-1(2)
14-6-2024

कब्जा प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 13.650 किमी0 में 3.844 है0 प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु (कुल 7.688 है0) ग्राम ओखलिया में 2.500 है0 एवं ग्राम झड़गाव में 5.188 है0 सिविल भूमि चयनित की गई थी, उक्त भूमि वन विभाग के नाम अनलदरामद जिलाधिकारी अल्मोड़ा के संशोधित पत्र संख्या 5590/ग्यारह-05/21-22 दिनांक 13.06.2024 द्वारा कर दिया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/269/2015/एफ0सी0/1610 दिनांक 18.12.2017 एवं कार्यालय तहसीलदार, सल्ट (खुमाड़) के पत्र संख्या 299/वि0/एम0जे0/2024-25 दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि ओखलिया (2.50 है0) का दिनांक 25.03.2025 एवं सिविल भूमि झड़गांव (5.188 है0) का दिनांक 25.03.2025 का सीमांकन प्रस्तावक विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में पूर्ण कर लिया गया है।

अतः उक्त भूमि का कब्जा वन विभाग को दे दिया गया है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

CamScanner

नकल खतौनी (गैर ज० वि० खतौनी)

राजस्व ग्राम - झरगाँव, रा० क्षेत्र - छेना - कुपी, तह० - दन्यां, जिला - अल्मोड़ा

श्रेणी - 1(3)ज (कृषि योग्य बंजर भूमि)

खाता सं०	नाम खातेदार/पिता का नाम	खेत नं०	रकबा हैक्टेयर में	अभियुक्ति
20	उत्तराखण्ड सरकार (कृषि योग्य बंजर भूमि)	6 7 10 ↕ लगातार 430 431 432 ↕ लगातार 2321 2323 2325 ↕ लगातार 4198 4210	0.031 0.045 0.995 ↕ लगातार 0.155 0.456 0.877 ↕ लगातार 0.434 1.813 1.980 ↕ लगातार 0.015 0.010	श्रीमान् जिलाधिकारी (वि०/रा०) के आदेश क्र० 4157/आदेश 05/2021-22 दिनांक 5 अप्रैल 2022 के क्रम में राजस्व ग्राम झरगाँव, रा० क्षेत्र छेना-कुपी [illegible] के गैर ज० वि० खतौनी खाता सं० 20 श्रेणी 1(3)ज कृषि योग्य बंजर भूमि (उत्तराखण्ड) सरकार के स्वामित्व की खेत नं०-430 रकबा 0.155 है०, खेत नं० 431 रकबा 0.456 है०, खेत नं० 432 रकबा 0.877 है० खेत नं० - 2321 रकबा 0.434 है० खेत नं० - 2323 रकबा 1.813 है० खेत नं० - 2325 का रकबा - 1.980 है० कुल 5.184 है० [illegible] को [illegible] हेतु हस्तान्तरित की जाती है। ह० [illegible] 10/05/23
योग		240 खेत	30.371	

प्रतिलिपि, गैर ज० वि० खतौनी नकल हेतु [illegible]

ह० [illegible] 21/05/23

[illegible]

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 04 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।

ह0/ अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः–   जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 05 :– प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट उंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन कार्य जिन पर **Forward** एवं **Back bearing** अंकित करा दिया गया है, सीमांकन की प्रति संलग्न।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 13/01/2025 को वन विभाग के वन दरोगा श्री चद्रशेखर त्रिपाठी एंव वन बीट अधिकारी मानिला–2 श्री संजय सिंह के साथ पी0एम0जी0एस0वाई0 के कनिष्ठ अभियन्ता श्री रवि शंकर मौर्या द्वारा देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतू चयनित स्थल ओखलिया (2.500 हे0) का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि चयनित क्षेत्र ओखलिया क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में ही उपयुक्त है। चयनित भूमि ओखलिया (2.500 हे0) का पिलरों का निर्माण कराकर व चूना लगाकर घेराबन्दी कर दी गई है।

श्री संजय सिंह
व0 बी0 अ0
मानिला

श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी
(मानिला आरक्षित)

श्री रविशंकर मौर्या
कनिष्ठ अभियन्ता
निमार्ण खण्ड
(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट अल्मोडा

Nitin,
नितिन कुमार
(वन दरोगा)

(शिवांश उनियाल)
(वन दरोगा)

वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र

CamScanner

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 22/01/2025 को वन विभाग के वन दरोगा श्री चद्रशेखर त्रिपाठी एंव वन बीट अधिकारी मानिला–2 श्री संजय सिंह के साथ पी0एम0जी0एस0वाई0 के कनिष्ठ अभियन्ता श्री रवि शंकर मौर्या द्वारा देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतू चयनित स्थल झड़गांव (5.188 हे0) का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि चयनित क्षेत्र झड़गांव क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है। चयनित भूमि झड़गांव (5.188 हे0) का पिलरों का निर्माण कराकर व चूना लगाकर घेराबन्दी कर दी गई है।

Sanjay
श्री संजय सिंह
(व० बी० अ०
मानिला I)

श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी
(मानिला अनुभाग)

Ravi
श्री रविशंकर मौर्या
कनिष्ठ अभियन्ता
निमार्ण खण्ड
(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट अल्मोडा

Nitin
नितिन कुमार
(वन दरोगा)

(शिवनाथ त्रिपाठी)
(वन दरोगा)

वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र

CamScanner

कब्जा प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 13.650 किमी0 में 3.844 है0 प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु (कुल 7.688 है0) ग्राम ओखलिया में 2.500 है0 एवं ग्राम झड़गाव में 5.188 है0 सिविल भूमि चयनित की गई थी, उक्त भूमि वन विभाग के नाम अमलदरामद जिलाधिकारी अल्मोड़ा के संशोधित पत्र संख्या 5590/ग्यारह–05/21–22 दिनांक 13.06.2024 द्वारा कर दिया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/269/2015/एफ0सी0/1610 दिनांक 18.12.2017 एवं कार्यालय तहसीलदार, सल्ट (खुमाड़) के पत्र संख्या 299/वि0/एम0जे0/2024–25 दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि ओखलिया (2.50 है0) का दिनांक 25.03.2025 एवं सिविल भूमि झड़गांव (5.188 है0) का दिनांक 25.03.2025 का सीमांकन प्रस्तावक विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में पूर्ण कर लिया गया है।

अतः उक्त भूमि का कब्जा वन विभाग को दे दिया गया है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 06 :– प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसाई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुॅचें, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 07 :– परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार क्षति नही पहुंचायी जायेगी, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 08 :– वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उददेश्य के अलावा अन्य किसी के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CS CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 09 :– कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 406 से अधिक न हो, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।

fid अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 10 :– सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।

fo अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 11 :– परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जाएगा, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– **जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।**

शर्त संख्या 12 :– यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी़ मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 13:– ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गयी शर्तो का सन्तोषजनक अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

for अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner